

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०/नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०-24/2018

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० के क्षेत्राधीन मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंड के नरौली पंचायत के ग्राम-बिन्दा में एक अदद 2X5 एम०भी०ए० का शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 7.03 करोड़ (सात करोड़ तीन लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.03 करोड़ रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-3178 दिनांक-24.12.2018 के आलोक में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० के क्षेत्राधीन मुजफ्फरपुर जिला के मुशहरी प्रखंड के नरौली पंचायत के ग्राम-बिन्दा में एक अदद 2X5 एम०भी०ए० का शक्ति उप केंद्र के निर्माण हेतु 7.03 करोड़ (सात करोड़ तीन लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7.03 करोड़ रूपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. उक्त राशि माँग संख्या-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0103- नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801057890103 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :-

| बजट उपबंध | पूर्व में आवंटित राशि | वर्तमान में आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि | बजट उपबंध की शेष राशि |
|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 4007008000.00 | 3206321000.00 | 70300000.00 | 3276621000.00 | 730387000.00 |

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 3758 दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

5. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण-पत्र भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0048- नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200048 में जमा की जाएगी।

7. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/नॉ०बि०पा०डि०क०लि०-24/2018

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/नॉ०बि०पा०डि०क०लि०-24/2018 73

/पटना, दिनांक- 21/12/2018

प्रतिलिपि:-लेखा शाखा (तीन प्रतियों में), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग/राजस्व शाखा, वित्त विभाग/प्रशाखा-7, वित्त विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।